

2026/244

क्रि.पत्र

29.4.2026

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

मालाराम

बनाम

सजना आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 176 वर्ष 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
20.04.2026	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्बी किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 30.04.2026 को पेश हो।	
23.4.2026	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र भिजाल पेश करते पर प्रजावली को पेशी के लिखा-गया। वकुलार फरिदिन 34 लिखत प्रजावली को। बाद जजि के वकील विनेटु राड्ड 34 लिखत आकर प्रजावली देखा फेरु विना जिठे वा। लिख करके विनागण प्रजावली काहे देर जजक करके (24) 24-4-2026 को पेश हो।	मालाराम प-वली 24
24.4.26	वकुलार फरिदिन 34 लिखत प्रजावली को। बाद जजि के वकील विनेटु राड्ड 34 लिखत आकर प्रजावली देखा फेरु विना जिठे वा। लिख करके विनागण प्रजावली काहे देर जजक करके (24) 24-4-2026 को पेश हो।	मालाराम प-वली 24
29.4.2026	वकुलार फरिदिन 34 लिखत प्रजावली को। बाद जजि के वकील विनेटु राड्ड 34 लिखत आकर प्रजावली देखा फेरु विना जिठे वा। लिख करके विनागण प्रजावली काहे देर जजक करके (24) 24-4-2026 को पेश हो।	मालाराम प-वली 24 सजना देवीलाल मालाराम